झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 532/2022

इंद्रनील चौधरी उर्फ़ आई.एन. चौधरी, उम्र लगभग 56 वर्ष, पुत्र- स्वर्गीय पुलिन बिहारी चौधरी, निवासी पटमदा, पो. एवं पी.एस.-पटमदा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।

..... आवेदक

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. ध्रुव पद महतो पुत्र स्वर्गीय लखी कांत महतो, निवासी- जल्ला, पो. पटमदा, पी.एस. पटमदा, जिला- पूर्वी सिंहभूम ..... विपक्षीगण

आवेदक के तरफ से : सुश्री मौसमी चटर्जी, अधिवक्ता

राज्य सरकार के तरफ से : श्री राकेश रंजन, अपर लोक अभियोजक

विपक्षी संख्या 2 कि ओर से : श्री जीतेन्द्र एन. उपाध्याय, अधिवक्ता

प्रस्तुत

माननीय श्रीमान न्यायमुर्ति अनिल कुमार चौधरी कोर्ट द्वारा:- पक्षों को सुना !

2 . यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए पटमदा थाना काण्ड संख्या 25/2019 जी.आर. 2019 की संख्या 1093 से संबंधित में संज्ञान लेने के आदेश पारित दिनांक 12.09.2019 सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को विखण्डित करने और अपास्त करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है; जिसके तहत और जहां भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 15/25 और भारतीय चिकित्सा अधिनियम की धारा 64 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा संज्ञान लिया गया है।

3. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि यद्यपि याचिकाकर्ता राज्य चिकित्सा पंजी पर नामांकित चिकित्सा व्यवसायी नहीं है, लेकिन दवा व्यवसाय झारखण्ड राज्य में कर रहा था सूचक और उसकी पत्नी की सहमति के विरुद्ध सूचक की पत्नी का इलाज किया; जिससे उसका गर्भपात हो गया।

4 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि 'इंडियन मेडिकल एक्ट' नाम का कोई अधिनियम नहीं है और भारतीय मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1956 में केवल 34 तक की धाराएं हैं, इसलिए, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर ने "भारतीय चिकित्सा अधिनियम" की धारा 64 के रूप में कानून के एक गैर-मौजूद प्रावधान का संज्ञान लेते हुए गंभीर अवैधता की है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 25 कानून का दंडात्मक प्रावधान नहीं है और याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनता है। इसलिए, विद्वान

न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर ने "भारतीय चिकित्सा अधिनियम" की धारा 64 और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेकर गंभीर अवैधता की है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि पटमदा थाना काण्ड संख्या 25/2019 जी.आर. नम्बर 1093/2019 दिनांक 12.09.2019 को संज्ञान लेने वाले आदेश का हिस्सा को विखंडित तथा अपास्त किया जाना चाहिए।

5 राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक दूसरी ओर, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि "भारतीय चिकित्सा अधिनियम" के नाम पर कोई अधिनियम नहीं है और यह भी निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 25, 1956 कानून का दंडात्मक प्रावधान नहीं है; बल्कि दोनों विद्वान अपर.लोक अभियोजक राज्य की ओर से उपस्थित हुए और विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध पूरी तरह से याचिकाकर्ता के खिलाफ बनता है; इसलिए, यह उपयुक्त मामला नहीं है जहां विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा दिनांक 12.09.2019 को पटमदा थाना काण्ड संख्या 25/2019 जी.आर. नम्बर 1093/2019 में संज्ञान लेने के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को विखण्डित तथा अपास्त किया जाय। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है, कि आपराधिक विधिक याचिका को बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज कर दिया जाय।

6. बार में की गई विरोधी दलीलों को सुनने के बाद और अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, निर्विवाद तथ्य यह है कि भारतीय चिकित्सा अधिनियम नाम का कोई अधिनियम नहीं है, इसलिए, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर ने "भारतीय चिकित्सा अधिनियम" की धारा 64 और यह भी कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 25 जो कानून का दंडात्मक प्रावधान नहीं है, एक गैर-मौजूद अपराध का संज्ञान लेकर गंभीर अवैधता की है लेकिन जहां तक, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 15 का संबंध है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, मामले की जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और आरोप-पत्र को ध्यान में रखते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है; याचिकाकर्ता के खिलाफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 का मामला बनता है कि धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध है। इसलिए, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां पटमदा थाना कांड संख्या 25/2019 तदअनुरूप जी.आर. संख्या 1093/2019 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जमशेदपुर द्वारा पारित संज्ञान लेने वाला आदेश दिनांक 12.09.2019 सहित समग्र दांडिक कार्यवाहियां को विखंडित तथा अपास्त किया जाय।

अत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट- प्रथम श्रेणी जमशेदपुर द्वारा पटमदा थाना कांड संख्या 25/2019 तदनुरूप जी.आर. 1093/2019 में पारित आदेश दिनांक 12/09/2019 का भाग जहॉ तक यह इण्डियन मेडिकल एक्ट की दंडनीय अपराध की धारा 64 तथा इण्डियन मेंडिकल कौंसिल एक्ट 1956 की धारा 25 के अधीन से संबंध है को विखंडित किया जाता है।

7. विद्दमान दांडिक विविध याचिका को केवल उपरोक्त सीमा तक अनुज्ञात किया जाता है।

8. विद्दमान दांडिक विविध याचिका के व्ययन के मद्देनजर, दिनांक 18,07.2022 के आदेश के तहत पूर्व दी गई अंतरिम राहत रद्द की जाती है।

9. रजिस्ट्री को संबंधित अदालत को तुरंत सूचित करने का निर्देश दिया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 18 मार्च, 2024
ए.एफ.आर/ अनिमेष

यह अनुवाद **किरण शंकर मिश्र**, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।